सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —भागीरथराम आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:—2024/231

दर्ज तिथिः—31.12.2024

1. रमेश कुमार पुत्र गोरधन राम
2. रमकु देवी पत्नी गोरधन राम
3. व्राली पत्नी पूनमाराम

जाति विश्नोई निवासी आलेटी, पटवार हल्का अरणीयाली,तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर।

...........प्रार्थीगण

बनाम

1. भगवानाराम पुत्र जालाराम
2. मोटाराम पुत्र हरचंद
3. हरू पुत्र हरचंद
4. रामजीवन पुत्र मलाराम
5. भैराराम पुत्र मलाराम
6. जगदीश पुत्र मलाराम
7. अमरू पत्नी मलाराम
8. मोहन लाल पुत्र भंवरलाल
9. कालूराम पुत्र केसाराम
10. धोंकलाराम पुत्र केसाराम
11. पूनमा पुत्र केसाराम
12. लाधूराम पुत्र खिंयाराम
13. विरधाराम पुत्र खिंयाराम
14. शान्ति पत्नी खिंयाराम
15. सुरता पुत्र धुड़ा
16. बादराराम पुत्र फगलुराम
17. सेनाराम पुत्र जालाराम
18. हरीराम पुत्र भंवरलाल

जाति विश्नोई निवासी सियागों की बेरी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

..................असल अप्रार्थी

19. तहसीलदार धोरीमन्ना

...................तरतीब अप्रार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:06:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

रमेश कुमार बनाम भगवानाराम
2024/231
निर्णय दिनांकः–27.06.2025

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री जगदीश कुमार
अप्रार्थीगणः–श्री ओमप्रकाश विश्नोई

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–111,128
राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–27.06.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 108/3.3022 है0 किस्म बारामी सोयम वाके ग्राम आलेटी, पटवार हल्का अरणीयाली, तहसील धोरीमन्ना में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार धोरीमन्ना के यहां प्रार्थना–पत्र पेश किया। जिस पर तहसीलदार धोरीमन्ना के आदेश भू.अ./2024/2131 दिनांक 25.07.2024 की पालना में दिनांक 29.07.2024 को खसरा संख्या 108/3.3022 है0 किस्म बारामी सोयम वाके ग्राम आलेटी, पटवार हल्का अरणीयाली, तहसील धोरीमन्ना द्वारा उक्त आराजी का सीमांकन करने हेतु पहूंचे लेकिन मौके पर विवाद की स्थिति में सीमाज्ञान नहीं किया जा सका। अप्रार्थीगण मौके पर असंतुष्ट होकर पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। असल अप्रार्थीगण संख्या 1 से 15 तथा 17 से 18 विधिवत तामील अनुपस्थित होने के कारण अप्रार्थीगण संख्या 1 से 15 तथा 17 से 18 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। असल अप्रार्थीगण संख्या 16 असालतन–वकालतन हाजिर न्यायालय होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की [illegible] गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में [illegible] हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक [illegible] के अनुसार पत्थरगढ़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:06:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

के आदेश जारी करने का निवेदन किया है। दौराने बहस अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे के बिन्दुओं को मात्र दोहराते हुए प्रार्थी के आवेदन को खारिज करने का निवेदन किया गया।

4. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.—****(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

5. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***128. Boundary disputes. -*** *All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*
>
> *Provided that applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा किये [illegible] रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि [illegible] उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त [illegible] प्रार्थीगण की [illegible] खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 29.07.2024 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:06:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

रमेश कुमार बनाम भगवानाराम
2024/231
निर्णय दिनांकः—27.06.2025

साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार धोरीमन्ना के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश करने पहुंचे लेकिन विवाद की स्थिति में पेमाईश नहीं की जा सकी। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा—111,128 भू—राजस्व अधिनियम—1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 108/3.3022 है0 किस्म बा.सो. वाके ग्राम आलेटी, पटवार हल्का अरणीयाली, तहसील धोरीमन्ना पर प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी कर सीमा निर्धारण किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार धोरीमना को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 27.06.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

27/6/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:06:40 IST
Reason: SelfAttested